


26.08.25 फावली वेश हुई। वकील गार्थी अनुपस्थित।  
गार्थी का मूल वाद तलबी के अभाव में इसी  
स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः  
यह गार्थना वत्र औचित्यहीन होने के कारण  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फावली  
बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।  
निर्णय लिखाया जाकर पुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(सुनीलकुमार-चौहान)  
R.A.S.